Form No.III

फर्द अहमका

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

श्री गुलाब सिंह चौधरी **बनाम** छगना जाट वगै0

किस्म मुकदमा ....प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट...न. 09 सन् 2012

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज**	**नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए**
15.06.2017	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प मुकाम राक्षी में पेंश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम बैसकलाई पटवार हल्का राक्षी भू0अ0निरीक्षक उपरेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित **खाता स0 235 कि हाल आराजी न0 के 334 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा** आराजीयात विपक्षीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थीया द्वारा प्रार्थनापत्र बहस करनी चाहने से, बहस एकपक्षीय सुनी गई। प्रार्थी विवादित आराजीयात को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा चाहते है। बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रार्थी एंव विपक्षी संख्या 02 के पिता द्वारा विपक्षी संख्या 01 का निहित हिस्सा अन्य आराजीयात के साथ साथ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.04.1969 को क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया। इसके पश्चात नामान्तकरण संख्या 296 के जरिये प्रार्थी एंव विपक्षी संख्या 02 के पिता भवंर लाल के नाम पर दर्ज हुई। जबकि विपक्षी 01 का वादग्रस्त आराजीयात पर कोई हक अधिकार नही है। यदि भविष्य में विपक्षी संख्या 01 द्वारा खरीदशुदा आराजीयात में से भूमि का विक्रय, अन्तरण, हस्तान्तरण, रहन, बक्षीस आदि करते है तो प्रार्थी एंव विपक्षी संख्या 02 को अपूर्णीय क्षती होगी एंव वाद व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य ही नही रह जावेगा। प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षीगण द्वारा पैतृक भूमि का अन्तरण कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीया के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र आंशिक रूप से इस प्रकार स्वीकार किया जाता है की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित आराजीयात में सें ग्राम बैसकलाई पटवार हल्का राक्षी भू0अ0निरीक्षक उपरेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित **खाता स0 235 कि हाल आराजी न0 के 334 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा** में राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण संख्या 01 को अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैशल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे। उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा	